रजिस्टर्ड नं० पी०/एस०एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला मंगलवार, 10 अगस्त, 1982/19 श्रावण, 1904

हिमाचल प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 2 फरवरी, 1982

संख्या 11-2/73-एच.एफ.डब्ल्यू-II.—निम्नलिखित प्रारूपित नियमों को जिन्हें हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक व्यवसायी अधिनियम, 1979 (1980 का अधिनियम संख्या 3) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का विचार रखते हैं इन्हें सम्भाव्य प्रभावित व्यक्तियों के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूपित नियमों पर इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों की अवधि के समापन के उपरान्त विचार किया जाएगा।

कोई व्यक्ति जिसे इन नियमों पर कोई आपत्ति करनी हो अथवा सुझाव देना हो वह उक्त दी गई अवधि के भीतर उन्हें सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2 को भेजें और इस प्रकार प्राप्त आपत्तियों/सुझाव पर सक्षम अधिकारी द्वारा नियमों को अन्ततः अपनाने से पूर्व सम्यक रूप से विचार किया जाएगा।

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) ये नियम हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक व्यवसायी नियम, 1982 कहे जा सकते हैं।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**—(1) इन नियमों में जब तक सन्दर्भ में कोई विरुद्ध बात न हो :—

(क) "अधिनियम" से हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक व्यवसायी अधिनियम, अभिप्रेत है ;

(ख) "परिशिष्ट" से इन नियमों के परिशिष्ट, अभिप्रेत है ;

(ग) "अध्यक्ष" से परिषद् का अध्यक्ष, अभिप्रेत है ;
(घ) "समिति" से परिषद् द्वारा नियुक्त समिति, अभिप्रेत है ;
(ङ) "प्रपत्र" से परिषद् द्वारा नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र, अभिप्रेत है ;
(च) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ; और
(छ) "विश्वविद्यालय" से संसद या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा निर्मित विश्वविद्यालय अभिप्रेत है, शब्दों और पदों के जो इन में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके हैं ।

3. **व्यवसायिकों का पंजीकरण.**—(1) प्रत्येक व्यक्ति जो धारा 16 के अधीन रजिस्टर मे अपना नाम दर्ज कराने का अधिकारी है वह यदि अपना नाम दर्ज कराना चाहें तो वह प्रपत्र "क" में पंजीकार को आवेदन देगा । प्रत्येक ऐसे आवेदन-पत्र के साथ नियम 32 में विहित शुल्क दिया जाएगा । उसे अपने आवेदन-पत्र के साथ वे दस्तावेज भी भेजने होंगे जो रजिस्ट्रार के भाग "क" या "ख" जैसी भी स्थिति हो में उसका नाम दर्ज करने के लिए उसके दावे को प्रमाणित करने हेतु आवश्यक हो ।

(2) पंजीकार आवेदन-पत्र की जांच के पश्चात् आवेदक से उतनी अवधि के अन्दर जितनी वह विनिर्दिष्ट करे कोई अन्य सूचना या दस्तावेज जिसे वह आवश्यक समझे भी मांग सकता है ।

(3) यदि पंजीकार उप-नियम (1) के अधीन आवेदन-पत्र की प्राप्ति या उप-नियम (2) के अधीन आवेदक के अपेक्षित अन्य सूचना या दस्तावेजों की प्राप्ति पर और आगे ऐसी जांच पड़ताल के पश्चात, जिसे उचित समझे इस बात से सन्तुष्ट है कि आवेदन रजिस्टर के भाग "क" या "ख" जैसी भी स्थिति हो में अपना नाम दर्ज कराने का अधिकारी है तो वह उसका नाम दर्ज कर देगा । यदि वह सन्तुष्ट नहीं है तो वह आवेदन-पत्र को अस्वीकार कर देगा । परन्तु आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना किसी भी आवेदन-पत्र को अस्वीकार करने का आदेश पारित नहीं किया जायेगा ।

(4) धारा 16 की उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अधीन जिस व्यवसायी का नाम रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाता है उसे प्रपत्र "ख" में 5 रुपये शुल्क देने पर, एक प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जायेगा और जिसे आवेदक का आवेदन-पत्र अस्वीकार कर दिया गया हो उसे रजिस्टर्ड डाक द्वारा अस्वीकार करने की सूचना दे दी जायेगी ।

3. **पंजीकरण का नवीनीकरण.**—(क) प्रत्येक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी जो कि धारा 16 के अधीन पंजीकृत है उन्हें प्रत्येक वर्ष के उपरान्त पंजीकरण का नवीनीकरण करवाना अनिवार्य है ।

4. **पंजीकरण की विधि मान्यता.**—अधिनियम के अधीन पंजीकृत प्रत्येक व्यक्ति का नाम अधिनियम में रजिस्टर से नाम हटाये जाने सम्बन्धी अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए उस म दर्ज रहेगा ।

5. **पते में परिवर्तन.**—(1) प्रत्येक पंजीकृत व्यवसायी के लिए यह आवश्यक है कि यदि उस पते में कोई परिवर्तन हुआ हो तो ऐसे परिवर्तन के एक मास के अन्दर-अन्दर अपने पते की पंजीकार को सूचना भेजें और इस सम्बन्ध में पंजीकार द्वारा उससे जो भी पूछताछ की जाए उसका तुरन्त उत्तर दें ताकि रजिस्टर में उसका सही पता दर्ज हो जाए ।

(2) जिस पंजीकृत व्यवसायी ने अपना नाम तबदील कर दिया हो वह पंजीकार को अपने बदले हुए नाम के बारे में तुरन्त सूचना भेजे और पंजीकार का इस बारे में तसल्ली कराएगा कि उसने अपने बदले हुए नाम का पहले ही किसी ऐसे समाचार-पत्र में अधिसूचित कर दिया है जो उस क्षेत्र में काफी बिकता है जहां पर वह अपना व्यवसाय चला रहा हो और जो उस क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित होता है । पंजीकार इस प्रकार से सन्तुष्ट होने पर और नियम 32 में निर्धारित फीस की प्राप्ति पर रजिस्टर को तदनुसार ठीक कर लेगा वह पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के अनुरोध पर पंजीकरण प्रमाण-पत्र में भी आवश्यक संशोधन कर देगा ।

6. **अतिरिक्त अर्हताओं की रजिस्टर में प्रविष्टि.**—(1) कोई भी पंजीकृत व्यवसायी, जिसने होम्योपैथिक में कोई अतिरिक्त डिग्री डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र या अन्य योग्यता या अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सा डिग्री, डिप्लोमा प्रमाण-पत्र प्राप्त किए हों और वह उसे रजिस्टर में दर्ज कराना चाहे तो नियम 32 में विहित फीस सहित

प्रपत्र "ग" में एक प्रार्थना-पत्र देगा । वह अपने आवेदन-पत्र के साथ मूल रूप में प्राप्त डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र, जसी भी स्थिति हो, को भेजेगा जिस के आधार पर वह रजिस्टर में प्रविष्टि कराना चाहता है ।

(2) उप-नियम (1) के अधीन प्रार्थना-पत्र की प्राप्ति पर या पूछताछ के बाद यदि पंजीकार को यह तसल्ली हो गयी है कि आवेदक अपनी डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र जैसी भी स्थिति हो रजिस्टर में दर्ज कराने का अधिकारी है तो वह उनकी प्रविष्टि कर देगा और ऐसे व्यवसायी को प्रपत्र "घ" में एक प्रमाण-पत्र देगा यदि उसे तसल्ली नहीं है तो वह आवेदन-पत्र को अस्वीकार कर देगा, परन्तु किसी आवेदन-पत्र पर अस्वीकार करने के आदेश तब तक नहीं दिए जायेंगे जब तक आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया जाता ।

7. **पंजीकरण प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति जारी करना.**—यदि पंजीकरण प्रमाण-पत्र गुम हो जाए, नष्ट हो जाए या कट फट जाये तो प्रमाण-पत्र का धारक, प्रमाण-पत्र लागू रहने की अवधि के दौरान किसी भी समय पंजीकार का प्रमाण-पत्र की प्रति के लिए आवेदन-पत्र दे सकता है और पंजीकार अपनी तसल्ली करने के पश्चात् और नियम 32 में निर्धारित फीस प्राप्त कर लेने पर, दूसरा प्रमाण-पत्र जारी कर देगा।

8. **धारा 16 के अधीन रजिस्टर में से नाम हटाना.**—जब कभी पंजीयक के कार्यालय को यह सूचना मिले कि कोई व्यवसायी दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 म यथा प्रभावित संज्ञेय अपराध के लिए दोष सिद्ध हुआ है और ऐसी नतिक चरित्र हीनता परिषद् की राय में उसे अपने व्यवसाय में काम करने के लिए अयोग्य बनाने के लिये पर्याप्त है अथवा सम्यक रूप से जांच पड़ताल करने के उपरान्त यह मालूम होता है कि वह ऐसे आचरण का दोषी है जो उसे परिषद् की राय में किसी व्यवसायिक कार्य को करने के लिए गर्हित बनाता हो तो पंजीयक ऐसी सूचना का एक सार तैयार करेगा और उसे परिषद् के समक्ष ऐसी कार्यवाही करने के लिए रखेगा जैसी कि परिषद् धारा 16 की उप-धारा (5) के उपबन्धों के अध्याधीन करनी चाहे :

परन्तु धारा 16 की उप-धारा (5) के उपबन्धों के अधीन आदेश पारित करने से पूर्व, परिषद् सम्बन्धित व्यवसायी को सुनवायी का अवसर प्रदान करेगी, यदि वह ऐसा करना चाहे ।

9. **पंजीकरण प्रमाण-पत्र का अभ्यर्पण**—जिस किसी पंजीकृत व्यवसायी का नाम, धारा 15 की उप-धारा (5) के अधीन पंजीकार द्वारा या धारा 16 की उप-धारा (5) के अधीन परिषद् द्वारा रजिस्टर में से हटा दिया गया हो तो अपने हटाये गए नाम की सूचना मिलने पर पंजीकार को अपना प्रमाण-पत्र तुरन्त अभ्यर्पित कर देगा।

10. **धारा 15(5) और 16 (5) के अधीन जिस व्यवसायी का नाम हटाया गया हो उसके नाम की पुनः प्रविष्टि.**—(1) धारा 15 की उप-धारा (5) के अधीन जिस किसी व्यवसायी का नाम पंजीकार द्वारा रजिस्टर में से हटा दिया गया हो या जिस का नाम दर्ज करान की वहां मनाही हो या जिसका नाम धारा 16 की उप-धारा (5) के अधीन रजिस्टर में परिषद् द्वारा हटा दिया गया हो और जो धारा 15 की उप-धारा (5) के उपबन्धों के अधीन या धारा 16 की उप-धारा (6) के अधीन अपना नाम दर्ज या दोबारा दर्ज, जसी भी स्थिति हो, करना चाहे तो वह अध्यक्ष को आवेदन-पत्र देगा ।

(2) प्रत्येक ऐसा आवेदन-पत्र लिखित रूप में दिया जाएगा और उसमें वे सभी कारण होंगे जिन के आधार पर आवेदन-पत्र दिया गया है और उस के साथ आवेदक की पहचान के सम्बन्ध में प्रपत्र "ङ" में दिए गये प्रमाण-पत्र के अनुसार दो पंजीकृत व्यवसायियों के प्रमाण-पत्र लाने होंगे ।

11. **व्यवसायियों की सूची का प्रकाशन.**—(1) धारा 26 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट व्यवसायियों की सूची परिषद् के कार्यालय के बाहर किसी सुस्पष्ट स्थान पर चिपका दी जायेगी और इसके छपाये जाने और चिपकाये जाने का ऐसे समाचार-पत्रों में, जिन के बारे में परिषद् निर्णय करे और जो हिमाचल प्रदेश में काफी बिकते हों, पर्याप्त प्रचार किया जायेगा ।

(2) रजिस्टर के भाग (ख) में पंजीकृत व्यवसायियों के मामले में सूची में व्यवसायी की अर्हताएं लिखने की बजाए वह पद्धति भी चिह्नित होगी जिसमें वह अपना व्यवसाय चला रहा है ।

12. **प्रमाणित प्रति के प्रदाय हेतु शुल्क.**—(1) परिषद् या पंजीकार द्वारा, पारित किसी आदेश या रजिस्टर में किए गए किसी प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति लेने के लिए शुल्क का दर 75 पसे से प्रति सौ शब्द या उसके भिन्न के लिए है परन्तु यह कम से कम 1 रुपये होगी :

परन्तु यदि कोई आवेदक ऐसी प्रति तुरन्त लेना चाहे तो उसे ऊपर की गई गणना के अनुसार शुल्क की दुगनी रकम देनी पड़ेगी और यह कम से कम 2 रुपये होगी ।

(2) तुरन्त आवेदन-पत्र देने की स्थिति में मांगी गयी प्रति आवेदक को जिस दिन उसने आवेदन-पत्र दिया है उससे अगले दिन कार्यालय बन्द होने से पहले दे दी जाएगी ।

13. **अपीलें.**—(1) धारा 27 के अधीन परिषद् को की गयी प्रत्येक अपील परिषद् के अध्यक्ष के नाम की जाएगी और उसके साथ नियम 32 में निहित शुल्क भी लगाया जायेगा ।

(2) प्रत्येक अपील सम्यक रूप से प्रस्तुत की गयी तब सही समझी जाएगी यदि उसे या तो रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा जाए या व्यक्तिगत रूप से या अपील कर्ता द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा परिषद् के कार्यालय में की जाए ।

(3) प्रत्येक अपील के साथ उस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि भी भेजनी होगी जिसके विरुद्ध अपील की गयी है और उसमें निम्नलिखित विवरण अन्तर्विष्ट होना चाहिये :—

(क) उस आदेश की तिथि जिसके विरुद्ध अपील की गई है ;

(ख) संक्षिप्त किन्तु स्पष्ट रूप में अपील के आधार ।

(4) प्रत्येक अपील पर आवेदक हस्ताक्षर करेगा और अपील की आधारों के सत्यापन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 म दिए गए ढंग से उसे सत्यापित करेगा ।

14. **अपीलें सुनने की प्रक्रिया.**—(1) यदि अपील पूर्ववर्ती नियम में बताये गये ढंग से प्रस्तुत न की गई या इसके साथ विहित शुल्क न लगाया गया हो तो वह सरसरी रूप से ही अस्वीकार कर दी जाएगी ।

(2) यदि उप-नियम 1 के अधीन अपील अस्वीकार नहीं की जाती तो परिषद् अपीलकर्ता की और जहां पर अपील पंजीकार के आदेशों के विरुद्ध हो और यह आदेश अपीलकर्ता के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति के सम्बन्ध में पारित किए गए हों परिषद् ऐसे व्यक्ति को सुनवायी का अवसर प्रदान कर इसका निर्णय करेगी । परिषद् के प्रत्येक निर्णय की पंजीकार को सूचना दे दी जाएगी और वह उसे कार्यान्वित करेगा ।

15. **रजिस्टर में भरे जाने वाली विशिष्टियां.**—पंजीकार प्रत्येक व्यवसायी के बारे में रजिस्टर में निम्नलिखित विशिष्टियां दर्शायेगा :—

(क) पंजीकरण संख्या ;
(ख) विवाहित स्त्रियों के मामल में पूरा नाम, अविवाहित नाम और विवाहित पूरा नाम ;
(ग) पिता का नाम ;
(घ) जन्म तिथि ;
(ङ) पता ;
(च) प्रशिक्षण का/के स्थान और अवधि/अवधियां ;
(छ) रजिस्टर के भाग 'क' और 'ख' में दज व्यवसायियों के मामले में अर्हताओं की किस्म और वे तिथियां जब यह अर्हताएं प्राप्त की गयी थीं;
(ज) रजिस्टर के भाग 'ख' में दर्ज व्यवसायियों के मामले में वह पद्धति जिसमें व्यवसाय चल रहा है ;
(झ) पंजीकरण की तिथि ;
(ञ) अभ्युक्तियां ।

16. **रजिस्टर के पृष्ठों का सत्यापन.**—रजिस्टर या प्रत्येक पृष्ठ पंजीकार के हस्ताक्षरों से सत्यापित किया जाएगा ।

17. **समितियों की नियुक्ति.**—अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए परिषद् इतनी संख्या के व्यक्तियों वाली ऐसी समितियां नियुक्त कर सकती है जितनी वह उचित समझे । परिषद् द्वारा नियुक्त समिति वह कार्य करेगी जो उसे परिषद् द्वारा सौंपा जाए । परन्तु इस नियम की कोई भी बात, इस प्रकार प्रत्येक नियुक्त समिति को कोई ऐसा कार्य करने का अधिकार नहीं देगी जिन के बारे में अधिनियम में विशेष तौर पर उल्लेख हो कि वे परिषद् या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किए जाने हैं ।

18. **सदस्य को मिलने वाले यात्रा तथा अन्य भत्ते.**—(1) परिषद् या उसकी किसी समिति की बैठक में भाग लेने के लिए शासकीय सदस्यों को नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता दिया जाएगा जैसे कि उन्हें हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के रूप में प्रयोज्य हो ।

(2) परिषद् के अशासकीय सदस्यों को यह यात्रा भत्ता मिलेगा जो द्वितीय ग्रेड के हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को ग्राह्य है ।

(3) परिषद् या समिति की बैठकों में भाग लेने वाले सभी अशासकीय सदस्यों की बैठक के प्रत्येक दिन के लिए दैनिक भत्ता द्वितीय ग्रेड के हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को अधिकतम दरों से मिलने वाले दैनिक भत्ते के बराबर मिलेगा ।

19. **परिषद् की मोहर.**—धारा 3 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट सामान्य मोहर पंजीकार द्वारा अपनी अभिरक्षा में रखी जाएगी । यह प्रत्येक ऐसे पंजीकरण प्रमाण-पत्र पर जो इन नियमों के उपबन्धों के अधीन जारी किया गया है और अन्य ऐसे दस्तावेजों पर लगाई जाएगी, जिन्हें अध्यक्ष आदेश द्वारा निर्देशित करे ।

20. **सम्पत्ति का प्रबन्ध.**—पंजीकार परिषद् की समस्त सम्पत्ति की देखभाल के लिए उत्तरदायी होगा और वह परिषद की चल सम्पत्ति का एक स्टाक रजिस्टर कायम करेगी ।

21. **परिषद् की राशि को बैंक में जमा कराना.**—परिषद्, भारतीय स्टेट बैंक में अपना खाता खोलेगी और उस द्वारा प्राप्त सारी धन राशि नियम 23 के उपबन्धों के अधीन बैंक में जमा करवाई जाएगी ।

22. **परिषद् की ओर से धन राशि की प्राप्ति.**—परिषद् को देय सारी धनराशि परिषद् की ओर से पंजीकार द्वारा या उस द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किसी अन्य परिषद् के कर्मचारी द्वारा प्राप्त की जाएगी और यह प्राप्ति के अगले दिन बैंक में जमा करा दी जाएगी । पंजीकार द्वारा धनराशि प्राप्त करने के प्रमाण में परिशिष्ट "क" विहित ढंग के अनुसार एक रसीद दे दी जाएगी ।

23. **परिषद् के लेखे का रख रखाव.**—परिषद् के लेखे का संचालन पंजीकार और अध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा ।

24. **स्थायी अग्रिम.**—पंजीकार दो सौ रुपये का स्थायी अग्रिम रखेगा ।

25. **लेखे का रख रखाव.**—परिषद् की तरफ से प्राप्त या खर्च की गयी सारी धनराशि परिशिष्ट "ख" में विहित ढंग के अनुसार रखी जाने वाली सामान्य कैश बुक में परिषद् के खाता में लिखी जाएगी और यह पंजीकार की प्रत्यक्ष देखरेख में होगा और उसकी अनुपस्थिति में उस द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत परिषद् के किसी कर्मचारी की देखरेख में होगा ।

26. **लेखों की लेखा परीक्षा.**—परिषद् के लेखों का परीक्षक, स्थानीय लेखा निधि, वित्त विभाग द्वारा वार्षिक लेखा परीक्षा की जाएगी ।

27. **लेखों की वार्षिक विवरणियों का तैयार किया जाना.**—पंजीकार प्रतिवर्ष जुलाई में 31 मार्च को समाप्त होने वाले पहले वर्ष की आय और व्यय की विवरणी तैयार करवाएगा और परिषद् का ध्यान उन विषयों पर दिलाएगा जो उसे परिषद् के ध्यान में लाने आवश्यक प्रतीत होते हैं ।

28. **प्राक्कलन तैयार करना.**—(1) पंजीकार प्रतिवर्ष अक्तूबर के मास में या ऐसी तिथि को जो अध्यक्ष नियत करे पहली अप्रल को शुरू होने वाले अगले वर्ष के लिए परिषद् की आय और व्यय का प्राक्कलन तैयार करवाएगा और उसे परिषद् को प्रस्तुत करेगा ।

(2) प्राक्कलनों में परिषद् के दायित्वों की पूर्ति और अधिनियम के उपबन्धों को ठीक ढंग से कार्यान्वित करने हेतु धनराशि की व्यवस्था होगी ।

(3) परिषद् उप-नियम (1) के अधीन प्रस्तुत किए गए प्राक्कलनों पर विचार करेगी और उन्हें या तो उसे परिवर्तन के बिना अथवा प्राक्कलनों को ऐसे परिवर्तन के साथ जैसे वह उचित समझे स्वीकृत कर सकती है ।

29. **अनुपूरक प्राक्कलनों का तैयार करना.**—परिषद् द्वारा जिस वर्ष के लिए प्राक्कलन मन्जूर किए गए हैं उसके दौरान किसी भी समय अनुपूरक प्राक्कलन तैयार कराके प्रस्तुत करा सकता है । प्रत्येक प्राक्कलन पर परिषद् उसी ढंग से विचार करेगी मानों यह मूल वार्षिक प्राक्कलन ही हो । कोई भी ऐसा व्यय नहीं किया जाएगा जिसके नियम 28 के उप-नियम (3) के अधीन स्वीकृत प्राक्कलनों या अनुपूरक प्राक्कलन में सम्यक रूप से व्यवस्था न की गयी हो ।

30. **बिलों की अदायगी.**—दावाकृत राशि के लिए प्रस्तुत किए गए कर्मचारियों के वेतन बिल और अन्य वाउचर लेखाकार द्वारा प्राप्त किए जाएंगे और उन द्वारा उनका परीक्षण किया जाएगा । उन वाउचर पर सन्तुष्ट होने पर कि दावा ठीक है बिल पारित किया जाएगा:—

(क) कर्मचारियों के वेतन बिल से सम्बन्धित यदि दावा एक हजार की राशि से अधिक न हो तो पंजीकार द्वारा पारित किया जाएगा ।

(ख) अन्य मामलों में अध्यक्ष द्वारा पारित किया जाएगा ।

31. **वापसी.**—परिषद् द्वारा फीस के प्रति प्राप्त धन राशियां किन्हीं भी स्थितियों में वापिस नहीं की जाएंगी । इस प्रकार प्राप्त रकमें परिषद् के लेखे में जमा रहेंगी :

परन्तु व्यवसायी द्वारा निहित शुल्कों से अधिक अदा की गयी राशि परिषद् के उचित लेखा में जमा की जाएगी और यदि तीन वर्ष की अवधि के भीतर दावा किया जाता है तो वह वापिस की जा सकती है और यदि उपरोक्त अवधि के भीतर वापसी के लिए कोई दावा नहीं किया जाता है तो राशि परिषद् के लेखे में जमा की जाएगी ।

32. **परिषद् को देय शुल्क.**—परिषद् को दी जाने वाले निम्नलिखित शुल्क विहित किए गए हैं:—

(1) नियम 3(1) के अधीन रजिस्टर में पहले पंजीकरण के लिए	..50/- रुपये
(2) नियम 5 के उप-नियम (2) के अधीन रजिस्टर में नाम परिवर्तन करने के लिए	..10/- रुपये
(3) नियम 6 के उप-नियम (1) के अधीन बाद में दर्ज प्रत्येक अतिरिक्त अर्हता या पद के लिए	..10/- रुपये
(4) नियम 7 के अधीन द्वितीयक पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए	..15/- रुपये
(5) नियम 13 के अनुसार परिषद् को अपील दायर करने के लिए यदि अपील पंजीकार द्वारा आवेदन के विरुद्ध पारित आदेशों के विरुद्ध हो	..15/- रुपये
(6) नियम 13 के अनुसार अपील दायर करने के लिए यदि अपील पंजीकार द्वारा अपीलकर्ता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध पारित आदेशों से विरुद्ध हो	..40/- रुपये
(7) नियम 3 (क) के अधीन पंजीकरण के नवीनीकरण हेतु शुल्क	..10/- रुपये

और इसके अतिरिक्त भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1889 अथवा स्टाम्प शुल्क सम्बन्धी उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीनउदग्रहण किए जाने वाला स्टाम्प शुल्क भी लिया जाएगा ।

33. **परिषद् के कर्मचारियों की नियुक्ति और उन पर नियन्त्रण.**—(1) धारा 14 की उप-धारा (5) के अधीन परिषद् द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को भी वही वेतन व भत्ते दिए जाएंगे जो सरकार के पूर्वानुमोदन के सा परिषद् द्वारा मन्जूर किए जाएं ।

(2) पंजीकार का परिषद् के कर्मचारियों पर प्राधिकार होगा और उन पर नियन्त्रण रखेगा कर्मचारीवृन्द के विभिन्न वर्गों के कर्तव्य ऐसे होंगे जैसे कि अध्यक्ष तथा रजिस्ट्रार द्वारा नियत किए जाएं ।

34. **परिषद् के कर्मचारियों को अवकाश और यात्रा भत्ता.**—पंजीकार और परिषद् के अन्य कर्मचारियों को अवकाश और यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार दिया जाएगा जैसे कि हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को प्रयोज्य है ।

35. **पंजीकार को अवकाश मन्जूर करने का अधिकार.**—पंजीकार को अवकाश देने के लिए अध्यक्ष प्राधिकृत होगा ।

36. **परिषद् के अन्य कर्मचारियों को अवकाश प्रदान करने की शक्तियां.**—पंजीकार परिषद् के अन्य कर्मचारियों को अवकाश मन्जूर कराने और उसके स्थान पर कर्मचारी रखने के लिए प्राधिकृत होगा ।

37. **अंशदायी भविष्य निवार्हनिधि.**—परिषद् के कर्मचारी पेंशन लेने के हकदार नहीं होगें परन्तु स्थायी कर्मचारियों को परिशिष्ट "ग" में दिए हुए अंशदायी भविष्य निधि नियमों का लाभ मिलेगा ।

38. **नियमों का निर्वाचन.**—इन नियमों के किसी निर्वाचन अथवा निर्मलीकरण की स्थिति में राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा ।

प्रपत्र "क"

[नियम 3 (1) देखिए]

हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक व्यवसायी अधिनियम, 1979 के अधीन पंजीकरण हेतु आवेदन-पत्र

सेवा में,

पंजीकार,
होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति परिषद्,
हिमाचल प्रदेश, शिमला ।

विषय:—हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक व्यवसायी अधिनियम, 1979 की धारा 16 के अधीन पंजीकरण के लिए आवेदन-पत्र ।

महोदय,

निवेदन है कि हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक व्यवसायी अधिनियम, 1979 के अन्तर्गत बनाए गये रजिस्टर के भाग "क" अथवा "ख" में होम्योपैथिक व्यवसायी के रूप में मेरा नाम दर्ज कर लिया जाए ; मेरे बारे में आवश्यक विवरण आपकी सूचना एवं अभिलेख के लिए निम्न प्रकार से दिया जाता है:—

1. आवेदक का नाम (मोटे अक्षरों में)——————————

2. (क) विवाहित नाम, कोई हो (मोटे अक्षरों में)——————————
(केवल विवाहित स्त्रियों द्वारा भरा जाना है)
(ख) अविवाहित नाम (मोटे अक्षरों में)——————————

3. पिता का नाम (मोटे अक्षरों में)——————————

4. वह स्थान जहां व्यवसाय चल रहा है/चलाएगा——————————
(क) गांव/मोहल्ला——————————डाकघर——————————
(ख) तहसील और जिला——————————थाना——————————

(जन्म तिथि के प्रमाण में प्रमाण-पत्र की प्रति लगाएं)

6. वह पद्धति जिसमें व्यवसाय चल रहा है/चलाएगा:—

(होम्योपैथिक——————————)

7. (क) होम्योपैथिक के बारे में उस मान्यता प्राप्त संकाय/बोर्ड/विश्वाविद्यालय का नाम व पता जहां से शिक्षा ग्रहण की हो——————————
(ख) उक्त उल्लिखित संस्थाओं में अध्ययन की अवधि——————————
(ग) पास की गई परीक्षा का नाम——————————
(घ) पास करने का वर्ष——————————

8. यदि अध्ययन निजि तौर पर किया हो तो निम्नलिखत विवरण दीजिए:—

(क) गुरु का नाम व पता——————————

(ख) अध्ययन की अवधि——————————

(ग) व्यवसाय की अवधि——————————से——————————तक

9. यदि किसी राज्य से पंजीकृत का नाम दर्ज हो तो——————————

(क) पंजीकरण/इन्द्राज संख्या—————————— (प्रमाण-पत्र की प्रति लगाएं)

(ख) रजिस्टर में प्रविष्टि के लिए 50/- रुपये और पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए 5/- रुपये——————————डाकघर की मनीआर्डर रसीद संख्या—————————— दिनांक——————————द्वारा भेज दिए गए हैं।

(ग) यदि फीस नकद दी गई हो तो शासकीय रसीद संख्या——————————दिनांक——————————

दिनांक—————————— आवेदक के हस्ताक्षर।

टिप्पणियां.—1. आवेदन पत्र में की गई सभी काट फाट, आवेदक द्वारा आवश्यक हस्ताक्षरित की जानी चाहिए।

2. पंजीकरण शुल्क पंजीकार, होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति परिषद्, हिमाचल प्रदेश, शिमला को या तो मनीआर्डर द्वारा भेजी जा सकती है या नकद दी जा सकती है।

3. इस आवेदन-पत्र के साथ मान्यता प्राप्त संस्था का डिप्लोमा उपाधि भेजी जानी चाहिए।

4. जो मद्द व शब्द लागू न होते हो उन्हें काट दिया जाए।

शपथ पत्र

मैं——————————सुपुत्र श्री—————————— जोकि—————————— गांव——————————डाकघर——————————तहसील——————————ज़िला—————————— का निवासी हूं और जो गांव/मुहल्ला——————————तहसील—————————— डाकघर——————————थाना——————————ज़िला——————————में व्यवसाय चलाने का इच्छुक हूं सत्य निष्ठा से निम्न घोषणा करता हूं:—

(क) किसी सक्षम न्यायालय ने ऐसा निर्णय नही दिया कि मैं विकृत चिन्ह हूं।

(ख) कि मुझे किसी दण्ड न्यायालय ने नैतिक अध्यामता के किसी उपराध में दोषी सिद्ध नही किया है और न ही कारावास का दण्ड दिया है।

(ग) कि मैं (अत्योक्ति दिवालिया कारावास) नही हूं।

(घ) कि मेरा नाम व्यवसायिक अवचार के लिए राज्य, बोर्ड/परिषद् द्वारा रखे गए व्यवसायी रजिस्टर में से हटाया नहीं गया है।

(ङ) कि मैंने हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक व्यवसायी अधिनियम, 1979 और उसके अधीन बनाए गए नियमों को पढ़ लिया है। उक्त अधिनियम व नियमों के उपबन्धों का पालन करने का बचन देता हूं।

मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा और प्रतिज्ञान करता हूं कि पंजीकरण के लिए दिए गए प्रमाण-पत्र के पैरों "क" से "ङ" में दिया गया विवरण मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है। मैं आगे शपथ लेता हूं कि सम्बद्ध कोई भी बात मेरे से छुपाई नहीं गई है।

दिनांक——————————

——————————
आवेदक के हस्ताक्षर

टिप्पणी:—शपथ-पत्र प्रथम श्रेणी के दण्डाधिकारी या शपथ आयुक्त द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा।

अनुप्रमाणक अधिकारी के हस्ताक्षर——————————पद नाम——————
पूरा नाम (मोटे अक्षरों में)——————————————
स्थान———————————— दिनांक————————————198———

कार्यालय द्वारा भरा जाएगा

पंजीकरण आवेदन-पत्र दिनांक——————————————को प्राप्त हुआ दैनिकी संख्या——————

(क) रजिस्टर में प्रविष्टि करने व प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए शुल्क दिन ——————को प्राप्त हुआ ।

(ख) शासकीय रसीद संख्या——————————दिनांक——————————

(ग) रोकड़ बही पृष्ठ संख्या——————————निजि खाता संख्या——————
लेखाकार के हस्ताक्षर——————————————
कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर——————————————————
पंजीकार के आदेश——————————————————
पंजीकरण संख्या——————————————————मूल
प्रमाण-पत्रों की छानवीन की गई और——————————को लौटाये गए ।
पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या——————————दिनांक——————
द्वारा जारी किया गया है ।

———

प्रपत्र "ख"

[नियम 3 (4) देखिए]

संख्या——————————

हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति परिषद् शिमला-2

मैं प्रमाणित करता हूं कि श्री——————————————————सुपुत्र श्री——————————————हिमाचल प्रदेश को हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक व्यवसायी अधिनियम, 1979 के अधीन दिनांक——————————————को शिमला में हौम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में भाग "क" या "ख" में पंजीकृत कर लिया गया है ।

अर्हताऐं——————————————
जन्मतिथि——————————————
पता——————————————

टिप्पणियां:—(1) यह प्रमाण-पत्र केवल हिमाचल प्रदेश के भीतर ही व्यवसाय चलाने का हकदार बनाता है ।
(ख) यह प्रमाण-पत्र वर्ष——————————————के लिए मुद्रित रजिस्टर के प्रकाशन तक केवल पंजीकरण का साक्ष्य रहता है ।

सामान्य मोहर पंजीकार

दिनांक शिमला,——————————————, 198 .

जरूरी सूचना:—

प्रत्येक पंजीकृत व्यवसायी को इस बारे में सावधान रहना चाहिए कि यदि उसके पते में कोई परिवर्तन हो जाए तो उसकी सूचना पंजीकार को तुरन्त भेजी जाए और इस सम्बन्ध में पंजीकार द्वारा यदि कोई पूछताछ

की जाए तो उसका उत्तर तुरन्त भेजा जाए ताकि उसका पता, रजिस्टर में ठीक सम्यक रूप से दर्ज हो सके । अन्यथा हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक व्यवसायी अधिनियम, 1979 की धारा 15(5) के अधीन व्यवसायी का नाम रजिस्टर म से हटाया जा सकता है ।

प्रपत्र "ग"

[नियम 6(1) देखिए]

अतिरिक्त अर्हताएं के पंजीकरण हेतु आवेदन-पत्र

सेवा में,

पंजीकार,
होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति परिषद्,
हिमाचल प्रदेश, शिमला ।

महोदय,

मैं———————————————अतिरिक्त अर्हताओं के पंजाकरण कराने के लिए आवेदन-पत्र भेज रहा हूं जो मैंने————————————में————————————प्राप्त की अर्हताओं का डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र मूल रूप में उसकी प्रति सहित एतद्द्वारा संलग्न किया जाता है जिसे कार्रवाई के उपरान्त लौटा दिया जाए । मैं हिमाचल प्रदेश होम्योपथिक व्यवसायी अधिनियम, 1979 के अधीन पहले से ही पंजीकृत हूं । मेरा पंजीकरण का विवरण निम्न प्रकार से है:—

नाम————————————
पिता का नाम————————————
पता————————————
पंजीकरण संख्या————————————

10/- रुपये की विहित शुल्क द्वारा————————————————डाकघर रसीद संख्या————————————दिनांक————————————द्वारा भेज दिया गया है शासकीय रसीद संख्या————————————दिनांक————————————द्वारा अदा की है ।

दिनांक————————————

भवदीय,

पंजीयक व्यवसायी के हस्ताक्षर ।

अनुलग्नकों की संख्या————————————
यदि अपेक्षित न हो तो उसे काट दिया जाए ।

प्रपत्र "घ"

[नियम 6(2) देखिए]

अतिरिक्त अर्हताओं का पंजीकरण

नीचे दिए गए डिप्लोमे/प्रमाण-पत्र हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक व्यवसायी के रजिस्टर में श्री/श्रीमती ————————————————के नाम के सामने दर्ज कर लिए गए हैं ।

पंजीकरण संख्या————————————————

————————————————————————

————————————————————————

सामान्य मोहर पंजीकार

दिनांक——————————198 .

प्रपत्र "ङ"

[नियम 10(2) देखिए]

रजिस्टर में नाम के द्वारा इन्द्राज के लिए आवेदन-पत्र की पुष्टि में प्रमाण पत्र

मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूं कि आवेदन उपर्युक्त विनिर्दिष्ट ——————————वही है जिसका नाम हिमाचल प्रदेश के होम्योपैथिक व्यवसायियों के रजिस्टर में होम्योपैथिक अधिनियम, 1979 के अधीन औपचारिक रूप से दर्ज है:—

नाम——————————————

(प्रमाणित करने वाले व्यक्ति का नाम)

पता——————————————

——————————————

अर्हताएं——————————————

प्रमाणित करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर

दिनांक——————————198 . पंजीकरण संख्या——————————

परिशिष्ट "क"

परिशिष्ट "क"

(हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक व्यवसायी नियम, 1982 का नियम 21 देखिए)

बही संख्या

क्रमांक

हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति परिषद् का कार्यालय, शिमला

दिनांक——————————

परिशिष्ट "क"

(हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक व्यवसायी नियम, 1982 का नियम 21 देखिए)

बही संख्या

क्रमांक

हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति परिषद् का कार्यालय, शिमला

दिनांक——————————

श्री/श्रीमती————————से ————— श्री/श्रीमती————————से ——————

के कारण————————————रुपये की के कारण————————————रुपये की

रकम (————————————रुपये) रकम (————————————रुपये)

प्राप्त की । प्राप्त की ।

पंजीकार पंजीकार

परिशिष्ट "ख"

(नियम 25 देखिए)

हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति परिषद्

सामान्य रोकड़ बही

आय						
मास	तिथि	वर्गीकृत सार की पन्ना संख्या	विभागीय मुख्यालय और विस्तृत शीर्षक और लेखा का उपशीर्षक	प्राप्ति का विवरण और जिन व्यक्तियों से प्राप्त हुआ का नाम	बैंक रसीद की संख्या और तिथि	राशि
1	2	3	4	5	6	7

आय			व्यय		
दैनिक जोड़	बैंक में जमा संख्या वैंक रसीद की तिथि	राशि	मास	तिथि	वर्गीकृत सार की पन्ना संख्या
8	9	10	11	12	13

व्यय					
विभागीय मुख्य लघु और लेखा के विस्तृत उपशीर्षक	व्यय प्रभार का विवरण और प्रापक का नाम	वाउचर की संख्या	चैक की संख्या और तिथि	राशि	दैनिक जोड़
14	15	16	17	18	19

परिशिष्ट "ग"

(नियम 37 देखिये)

हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति परिषद के कर्मचारियों के लिये भविष्य निधि नियम

1. नीचे लिखे नियमों में:—

(1) "परिषद" से हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक व्यवसायी अधिनियम, 1979 के अधीन स्थापित होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति परिषद् अभिप्रेत है ;

(2) "जमा कर्ता" से अभिप्रेत है कोई कर्मचारी जिसकी ओर से इन नियमों के अधीन जमा किया जाता है;

(3) "परिवार" से अभिप्रेत है पत्नी या पति जैसी भी स्थिति हो और माता-पिता बच्चे और सौतेले बच्चे, जो पूर्णतया कर्मचारी पर निर्भर हों ;

(4) "ब्याज" से अभिप्रेत है वह ब्याज जो सरकारी बचत बैंक में जमा रकम पर ऐसी संस्था के लिये प्रवृत्त नियमों के अधीन दिया जाता है;

(5) "वेतन" से व्यक्तिगत् मतों के रूप में सभी नियत मासिक भत्ते सम्मिलित हैं परन्तु इसमें विशेष व्यय की पूर्ति हेतु स्वीकार किये गये यात्रा भत्ते, वाहन भत्ते, मकान किराया, भत्ते सम्मिलित नहीं हैं, चाहे वे दैनिक, मासिक, वार्षिक आधार पर अदा किये गये हों;

(6) "कर्मचारी" में हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति परिषद् के कार्यालय में मूल पद धारण करने वाला प्रत्येक कर्मचारी सम्मिलित है ।

स्पष्टीकरण:— (1) मूल पद पर परिवीक्षा पर होने वाला कोई कर्मचारी इन नियमों के प्रयोजन हेतु तब तक कर्मचारी नहीं माना जायेगा जब तक वह स्थायी न हो जाये ।

(2) परिषद् के कार्यालय में किसी पद पर नियुक्त प्रत्येक कर्मचारी को या उस कर्मचारी का जिस किसी पद पर पदोन्नत किया गया हो उसे जब तक परिषद् के अध्यक्ष ने विशेष तौर पर छूट न दी हो उसे अपने वेतन में से आठ पैसे प्रति रुपये की दर से भविष्य निधि के लिये अंशदान देना होगा जिसका संयुक्त लेखा डाकघर बचत बैंक में परिषद् के अध्यक्ष के सरकारी नाम से खोला जायेगा । परिषद् द्वारा कटौती प्रत्येक वेतन बिल में से की जायेगी और यह तुरन्त निधि में जमा कर दी जायेगी । इस कटौती की गणना करने समय रुपये का भिन्न छोड़ दिया जायेगा ।

(3) परिषद् भी प्रत्येक जमा कर्ता के लेखे में पिछले नियम के अधीन उस के वेतन में से काटी गई राशि के बराबर अंशदान देगी । यह अंशदान वेतन में से की गई कटौती सहित प्रत्येक कर्मचारी की निधि में हर मास जमा करा दिया जायेगा ।

(4) परिषद के कार्यालय में एक भविष्य निधि खाता (इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र-1) में रखा जायेगा । नियम 2 के अधीन प्रत्येक जमा कर्ता के वेतन में से काटी गई मासिक रकम और नियम 3 में निर्दिष्ट मासिक

अंशदान भविष्य निधि खाता में तुरन्त दर्ज कर दी जायेगी और इस प्रकार दर्ज की गई रकम नियम 2 में निर्दिष्ट संयुक्त लेखे में जमाकर्ता के खाते में डाकघर बचत बैंक को दे दी जायेगी । डाकघर बचत बैंक में अदायगी यथा-सम्भव प्रत्येक मास की प्रथम व चतुर्थ तारीख को की जाये ताकि उस पर ब्याज लग सके ।

(5) जब कोई कर्मचारी बिना वेतन के अवकाश पर हो तो इस अवधि के दौरान भविष्य निधि की न तो कटौती की जायेगी और न ही उस पर अंशदान दिया जायेगा ।

(6) वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर और डाकघर द्वारा बचत बैंक संयुक्त लेखा पास बुक में ब्याज जोड़े जाने के यथा-शीघ्र पश्चात् प्रत्येक जमाकर्ता के लेखे की एक प्रति इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र 2 में उसे दे दी जायेगी ।

(7) परिषद् द्वारा अंशदान के रूप में दी गई रकम के किसी का कोई कर्मचारी तब तक पात्र नहीं होगा जब तक अध्यक्ष न उसे नौकरी छोड़ने की अनुमति न दे दी हो ।

(8) परिषद् का कोई भी कर्मचारी जो परिषद के अध्यक्ष की राय में बेइमानी या अन्य घोर दुराचार के कारण दोषी हो वह परिषद् के अनुमोदन बिना किसी भी संचित ब्याज या लाभ पर परिषद् द्वारा उसे दी गई किसी रकम के किसी भाग को लेने का पात्र नहीं होगा । परिषद को कर्मचारी की बेइमानी या असावधानी के कारण जितनी रकम का घाटा या क्षति हुई हो उसे प्रथम दोष के रूप में उतनी रकम कर्मचारी के लेखे में उस समय जमा रकम में से वसूल करने का हक होगा ।

(9) (क) यदि किसी कर्मचारी को पदच्युत कर दिया जाये तो परिषद् कर्मचारी के हिसाब में दी गई सारी रकम या इस के भाग को तथा उस पर लगने वाले ब्याज को रोक लेगा और कर्मचारी को उसी अंशदान और उस पर लगने वाले ब्याज के बिना केवल बकाया की ही अदायगी करेगा ।

(ख) इन नियमों के नियम 8 में उपबन्धित किये गये, के सिवाए निर्दिष्ट बकाया पदच्युत होने पर या दोष सिद्धि पर जब्त नहीं होगा ।

(10) यदि किसी कर्मचारी के त्याग-पत्र, स्थानान्तरण अथवा मृत्यु के समय उसके नाम परिषद का कोई बकाया परिषद् उसके नाम जब्त रकम में से, उतनी रकम काट सकती है और बकाया रकम यदि कोई बचती हो तो उसे दे दी जायेगी ।

(11) नियम 7, 8, 9 और 10 के अधीन कर्मचारी का कोई रोका गया अंशदान और उस पर लगने वाला ब्याज परिषद का हो जायेगा और उस के बचत बैंक संयुक्त लेखों में से निकाल कर परिषद् के खाते में जमा कर दिया जायेगा ।

(12) सेवा निवृति से पहले या सेवा निवृति के बाद परन्तु धन राशि अदा करने से पहले जमाकर्ता की मृत्यु हो जाने की स्थिति में उसके लेखों को जमा नियम 7, 8, 9 और 10 के अधीन उन व्यक्तियों में बांट दी जायेगी जो कर्मचारी द्वारा भरे गए घोषणा-पत्र में दर्ज किये गये हों (इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र "III") यह घोषणा उसे कर देनी चाहिए जब कर्मचारी की निधि लेखे में पहली किस्त जमा की जाये । जमाकर्ता परिषद के पंजीकार को लिखित आवेदन-पत्र देकर समय-समय पर अपने नामजद व्यक्तियों में परिवर्तन कर सकता है ।

(13) परिषद् की नौकरी छोड़ने पर जमा कर्ता का लेखा बन्द कर दिया जायेगा और यदि उसके लेखे की रकम छः महीनों के अन्दर नहीं निकलवाई जाती तो यह निष्क्रय लेखा समझ कर बट्टे खाते में डाल दी जाएगी और फिर यह रकम परिषद् के अध्यक्ष के आदेशों से ही दी जाएगी।

(14) जब कोई लेखा निष्क्रय हो जाए तो यह भविष्य निधि खाता में बन्द कर दिया जाएगा और फिर रकम बचत बैंक संयुक्त लेखा से निकलवाई जाएगी और रोकड़ बही में फुटकर प्राप्ति के रूप में जमा की जाएगी। यदि बाद में रकम का दावा किया जाए तो रोकड़ बही और भविष्य निधि खाता की प्रविष्टियां ढूंढी जाएंगी और परिषद के अध्यक्ष के आदेश प्राप्त किये जाएंगे। फिर अदायगी करने और अदायगी के तथ्य तथा आदेशों का हवाला प्रत्येक लेखा पुस्तक की प्रविष्टि के आगे दे दिया जायेगा ताकि दुबारा अदायगी को बचाया जाए।

(15) एक संयुक्त डाकघर बचत बैंक लेखा परिषद् के अध्यक्ष के पदीय नाम से खोला जायेगा। बचत बैंक पास बुक सुरक्षित अभिरक्षा हेतु कार्यालय तिजौरी में रखी जायेगी। संयुक्त लेखे में यदि रकम निकलवानी हो तो परिषद् के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित मांग-पत्र पर ही निकलवायी जायेगी।

(16) उपयुक्त नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जमाकर्ता की आर्थिक परिस्थितियां ऐसी हों कि उसे धन की आवश्यकता हो, तो उसे निम्नलिखित में से किसी प्रयोजन के लिए परिषद् के अध्यक्ष द्वारा संयुक्त बचत बैंक लेखे में से तीन मास के वेतन के अनाधिक या जमाकर्ता के लेखे की आधी रकम के बराबर जो भी कम हो, अस्थायी अग्रिम धनराशि अनुमत की जा सकती है :—

(1) जमाकर्ता या उसके परिवार के किसी व्यक्ति की बिमारी का खर्च पूरा करने हेतु,

(2) किसी विवाह या अन्त्येष्टि सम्बन्धी खर्च की पूर्ति के लिए जो जमाकर्ता के धर्म के अनुसार ऐसा करना अनिवार्य हो और जिसके सम्बन्ध में खर्च करना आवश्यक होता हो। जब जमाकर्ता ने अग्रिम रकम ले रखी हो तो दूसरी बार अग्रिम रकम तब तक नहीं दी जायेगी जब तक पहले ली गयी सारी रकम अदा न कर दी जाए।

टिप्पणी:—इन नियमों के प्रयोजनों के लिए 'वेतन' से अभिप्रेत है, मूल वेतन और इसमें किसी प्रकार के भत्ते सम्मिलित नहीं है।

(17) अग्रिम राशि 24 से अधिक किस्तों में वसूल नहीं की जायेगी। अंशदाता अपनी विकल्प से 24 से कम किस्तों में अदायगी कर सकता है या दो या इससे अधिक किस्तें एक साथ अदा कर सकता है। वसूलिया मासिक रूप से अग्रिम रकम स्वीकृत होने के बाद पहले महीने के पूरे वेतन में से कटनी शुरू हो जायेगी, परन्तु जब जमाकर्ता बिना वेतन के छुट्टी पर हो तब वसूली नहीं की जायेगी। किस्त वेतन में से अनिवार्य कटोती के रूप में वसूल कर ली जायेगी और यह उस अंशदान के अतिरिक्त होगी जो प्रतिमास प्रायः काटा जाता है। वसूली की प्रत्येक किस्त वसूल होने पर संयुक्त बचत बैंक लेखे में तुरन्त जमा कर दी जायेगी।

(18) यदि अंशदाता को अग्रिम राशि मंजूर कर दी गयी हो और उसने निकलवानी हो और यह रकम बाद में अदायगी की प्राप्ति से पूर्व अस्वीकार कर दी गयी हो तो निकलवायी गयी सारी बकाया रकम अंशदाता द्वारा तुरन्त निधि में वापिस कर दी जायेगी और इसे न देने की स्थिति में परिषद् के अध्यक्ष के आदेशों से अंशदाता के वेतन में से एकमुश्त या मासिक किस्तों में जो 12 से ज्यादा नहीं होंगी जैसे परिषद् का अध्यक्ष आदेश दे, वसूली की जाए।

(19) इन नियमों में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए यदि परिषद् का अध्यक्ष इस बात से सन्तुष्ट हो कि नियम 16 के अधीन निधि में से अग्रिम के रूप में निकाली गयी राशि जिस प्रयोजन के लिए स्वीकृत की गई थी उससे भिन्न प्रयोजन हेतु प्रयोग में लायी गयी है तो यह राशि जमाकर्ता द्वारा निधि में तुरन्त वापिस कर दी

जायेगी और न देने की स्थिति में परिषद् के अध्यक्ष के आदेशों से जमाकर्ता के वेतन में से एकमुश्त कटौती द्वारा वसूल कर ली जायेगी।

(20) भविष्य निधि का लाभ लेने वाले प्रत्येक कर्मचारी को एक लिखित घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे कि उसने नियमों को पढ़ लिया है और वह इन का पालन करेगा।

प्रपत्र I

भविष्य निधि खाता
(परिशिष्ट 'ग' का नियम 14 देखिए)

क्रम संख्या	जमा कर्ता						बचत बैंक में जमा की अग्रिम राशि		
	नाम	पद संज्ञा	अर्थ शेप	तिथि	अंशदाता द्वारा	हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक परिषद् द्वारा	आज तक कुल	तिथि	रकम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			रु0 पै0		रु0 पै0	रु0 पै0	रु0 पै0		रु0 पै0

आज तक कुल	बचत बैंक द्वारा दिया गया ब्याज			कुल जमा जिसमें बचत बैंक का ब्याज भी शामिल है (स्तम्भ 11 और 14)	तिथि	रकम	बचत बैंक में बकाया			अभ्युक्तियां
	तिथि	रकम	आज तक कुल				तिथि	रकम	मास के अन्त में प्रत्यक अंशदाता का बकाया जमा	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
रु0 पै0		रु0 पै0	रु0 पै0	रु0 प0		रु0 पै0		रु0 पै0	रु0 पै0	

प्रपत्र II

(नियम 6 परिशिष्ट 'ग' देखिए)

(होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति परिषद्)

लेखे का वर्ष .....

जमाकर्ता का नाम	अर्थ शेष	वर्ष के दौरान जमाकर्ता का भाग	परिषद् का भाग	जोड	वर्ष के दौरान वसूलियां	वर्ष के दौरान लगन वाला ब्याज	वर्ष के दौरान प्रत्याहार	शेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9

इसमें नीचे दिये गये विवरण के अनुसार पिछले वर्षों में वसूली की गयी परन्तु इस वर्ष के लेखे में डाली गई ..... रकम शामिल है। पिछली अवधियों की जमा रकमों पर भी ब्याज शामिल है। गुम हुए आक्कलन/विवकलन के लिए कृपया अगले पृष्ठ में देखिये।

नोट—1. यदि अंशदाता पहले की गयी नामजदगी में कोई परिवर्तन करना चाहे तो निधि के नियमों के अनुसार नई नामजदगी तुरन्त की जाए।

नोट—2. यदि अंशदाता का कोई परिवार न होने के कारण उसने अपने परिवार के व्यक्ति/व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का नाम नामजद किया हो तो और बाद में उसका परिवार हो गया हो तो उसे अपने परिवार के व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम नामजदगी के कागज भर देने चाहिये।

नोट—3. अंशदाता से प्रार्थना की जाती है कि वह अपने कथन की सत्यता के बारे में तसल्ली कर ले और यदि कोई गलती रह गई हो तो उनकी प्रेषित की तिथि के.....मास के अन्दर रजिस्ट्रार के ध्यान में ला दें।

.....

पंजीकार के हस्ताक्षर

गुम आकलन/विकलन

गुम हुए आकलनों/विकलनों का विवरण नीचे दिया जाता है यदि अंशदानों/अंशदाता निकाली गई रकमों/निकलवायी गई रकमों की वापसी कर दी गई हो तो जमाकर्ता कृपया उन वाउचरों का हवाला दे जिनमें कटौतियां की गई थीं/रकमें निकलवाई गई थीं और उसमें प्रत्येक वाउचर की संख्या, भुगतान की तिथि, खजाने का नाम, लेखा शीर्ष और वाउचर की शुद्ध रकम का भी उल्लेख होना चाहिये (अराजपत्रित कर्मचारियों की स्थिति में यह ब्योरा कार्यालय अध्यक्ष द्वारा दिया जाए ।

अंशदान		निकलवाई गई रकमों/राशियों की वापसियां			अग्रिम राशि/निकलवाई गई राशियां	
वर्ष	वेतन का मास	राशि	वर्ष	वेतन का मास	वर्ष	मासिक वेतनमान

प्रपत्र III

(परिशिष्ट "ग" का नियम 12 देखिये)

नामजदगी फार्म

(क) जब जमाकर्ता का परिवार हो और उसके किसी व्यक्ति को नामजद कराना चाहता हो

मैं शपथ द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक व्यवसायी (सामान्य) नियम, 1982 के परिशिष्ट "ग" में दी गई भविष्य निधि नियम, के नियम 3 में परिभाषित मेरे परिवार का सदस्य

है को निधि की मेरी रकम देय होने से पहले या देय होने पर अदायगी से पहले मेरी मृत्यु होने की स्थिति में प्राप्त करने के लिये नामजद करता हूं:—

नामजद व्यक्ति का नाम व पता	जमाकर्ता के साथ सम्बन्ध	आयु	वे संभावनाएं जिनके होने पर यह नामजदगी अमान्य हो जायेगी	उस/उन व्यक्ति/व्यक्तियों यदि कोई हो के नाम, पते व सम्बन्ध, जिस/जिन्हें जमाकर्ता के पहले उनकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में नामजदगी का अधिकार मिल जायेगा
1	2	3	4	5

दिनांक. . . . . 19 .

जमाकर्ता के हस्ताक्षर।

हस्ताक्षर के दो साक्षी :

1. नाम——————————

पता ——————————

——————————

2· नाम ——————————

पता ——————————

——————————

(ख) जब जमाकर्ता का परिवार हो और उसके एक से अधिक सदस्यों को नामजद करना चाहता है

मैं निम्नलिखित व्यक्तियों को हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक व्यवसायी नियम, 1982 के परिशिष्ट "ग" में दी गई भविष्य निधि के नियम 3 में दी गई परिभाषा के अनुसार मेरे परिवार के सदस्य हैं को निधि की मेरी रकम देय होने से पहले या देय होने पर अदायगी से पहले मेरी मृत्यु होने से पहले की स्थिति में प्राप्त करने के लिये नामज़द करता हूं और निर्दिष्ट करता हूं कि मेरी यह उक्त रकम कथित व्यक्तियों में उनके नाम के आगे दिखाए गये ढंग से बांटी जाए:—

नामज़द व्यक्ति का नाम व पता	जमाकर्ता के साथ सम्बन्ध	आयु	प्रत्येक व्यक्ति का संचित राशि में दी जाने वाली राशि	वे संभावनाएं जिन के होने पर नामज़दगी अमान्य हो जायेगी	उस/उन व्यक्ति/व्यक्तियों की, नाम, पते, और सम्बन्ध जिन/जिन्हें जमाकर्ता के पहले उसकी मृत्यु होने की स्थिति में नामज़दगी का अधिकार मिल जायेगा
1	2	3	4	5	6

दिनांक——————————

स्थान——————————

जमाकर्ता के हस्ताक्षर।

हस्ताक्षर के दो साक्षी :

1. —————————— 2. ——————————

नाम —————————— नाम ——————————

पता —————————— पता ——————————

टिप्पणी.—यह स्तम्भ भरा जाना चाहिये ताकि उसके अन्दर निधि में जमाकर्ता के नाम किसी समय खड़ी सारी रकम आ जाए।

(ग) जब जमाकर्ता का कोई परिवार न हो और किसी एक व्यक्ति को नामज़द करना चाहता हो

हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक व्यवसायी नियम, 1982 के परिशिष्ट "ग" में दिए गये भविष्य निधि के नियम 1(3) में की गयी परिभाषा के अनुसार चूंकि मेरा कोई परिवार नहीं है, इसलिए मैं निम्नलिखित व्यक्तियों को निधि की अपनी रकम देय होने से पहले या देय होने पर अदायगी से पहले मेरी मृत्यु होने की स्थिति में प्राप्त करने के लिए नामज़द करता हूं :—

नामज़द व्यक्ति का नाम व पता	अंशदाता के साथ सम्बन्ध	आयु	वे सम्भावनाएं जिन के होने पर यह नामज़दगी अमान्य हो जायेगी	उस/उन व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम, पते व सम्बन्ध जिसकी अंशदाता से पहले उसकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में नामज़दगी का अधिकार मिल जायेगा
1	2	3	4	5

दिनांक ——————————

स्थान——————————

अंशदाता के हस्ताक्षर।

हस्ताक्षर के दो साक्षी :

1. ---------- 2. ----------
नाम ---------- नाम----------
पता---------- पता----------

नोट.---जब अंशदाता का परिवार न हो और वह नामजदगी करता है तो वह इस स्तम्भ में निर्दिष्ट करेगा कि यह नामजदगी बाद में उसके परिवार हो जाने की स्थिति में अमान्य हो जायेगी।

(घ) जब जमाकर्ता का परिवार न हो और वह एक से ज्यादा व्यक्तियों को नामजद करना चाहता हो :

हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक व्यवसायी नियम, 1982 के परिशिष्ट "ग" में दिये गये भविष्य निधि नियमों के नियम 1(3) में परिभाषित के अनुसार चूंकि मेरा कोई परिवार नहीं है इसलिए मैं निम्नलिखित व्यक्तियों को निधि की अपनी रकम देय होने से पहले या देय होने पर अदायगी से पहले मेरी मृत्यु हो जाने की स्थिति में प्राप्त करने के लिए नामजद करता हूं और निर्दिष्ट करता हूं कि मेरी उक्त राशि कथित व्यक्तियों में उनके नाम के आगे दिखाए गये ढंग से बांटी जाए :---

नामजद व्यक्ति का नाम व पता	अंशदाता के साथ सम्बन्ध	आयु	प्रत्येक व्यक्ति को संचित रकम में से दी जाने वाली रकम	वे सम्भावनाएं जिन के होने पर नामजदगी अमान्य हो जायेगी	उस/उन व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम, पते व सम्बन्ध जिस/जिन्हें जमाकर्ता से पहले उसकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में नामजदगी का अधिकार मिल जायेगा
1	2	3	4	5	6

दिनांक---------- अंशदाता के हस्ताक्षर।

स्थान----------
हस्ताक्षर के दो साक्षी :---

1. ---------- 2. ----------
नाम ---------- नाम ----------
पता ---------- पता----------

नोट.---यह स्तम्भ भरा जाना चाहिये ताकि निधि में जमाकर्ता (अंशदाता) के नाम किसी समय खड़ी सारी रकम इसके अन्दर आ जाए।

नोट.---जहां अंशदाता का कोई परिवार न हो और वह नामजदगी करता है तो वह इस स्तम्भ में निर्दिष्ट करेगा कि यह नामजदगी उसके परिवार होने पर अमान्य हो जायेगी।

आदेश द्वारा,
अमर नाथ विद्यार्थी,
सचिव।

[In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the publication of the following English translation of notification No. 11-2/73 H&FW-II, dated 2nd February, 1982.]

HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Simla-171002, *the 2nd February*, 1982

No. 11-2/73 H&FW-II.—The following draft rules which the Governor of Himachal Pradesh proposes to make in exercise of the powers conferred by section 53 of the Himachal Pradesh Homoeopathic Practitioners Act, 1979 (Act No. 3 of 1980) are published for the information of persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date of publication of this notification in Rajpatra, Himachal Pradesh.

Any person who has any objection or suggestion to make, he may send the same to the Secretary, Health and Family Welfare, Himachal Pradesh, Simla-171002 within the above-mentioned period and the objection/suggestions so received shall be duly taken into consideration by the competent authority before adopting the rules finally.

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Homoeopathic Practitioners (General) Rules, 1982.

(2) They shall come into force at once.

2. *Definition.*—(1) In these rules, unless there is anything repugnant in the context—

(*a*) "Act" means the Himachal Pradesh Homoeopathic Practitioners Act, 1979 (3 of 1980);

(*b*) "appendix" means an appendix to these rules;

(*c*) "chairman" means the Chairman of Council;

(*d*) "committee" means a committee appointed by the Council;

(*e*) "form" means a form appended to these rules;

(*f*) "section" means a section of the Act;

(*g*) "university" means any university incorporated by an Act of Parliament or State Legislature.

(2) The terms and expressions used in these rules but not defined shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. *Registration of Practitioners.*—(1) Every person entitled to have his name entered in the Register under section 16 shall, if he is so desirous of having his name entered, make an application to the Registrar in Form "A". Every such application shall be accompanied by the fee prescribed in rule 32. He shall also furnish along with his application such documents as may be necessary to establish his claim for having his name entered in Part A or B of the Registrar, as the case may be.

(2) The Registrar may, after examining the application, require the applicant to furnish such other information or documents and within such time as he may specify.

(3) If the Registrar, on receipt of the application under sub-rule (1) or on receipt of further information or documents required from the applicant under sub-rule (2) and after making

such further enquiry, as he may deem proper, is satisfied that the applicant is entitled to get his name entered in Part A or B of the Register, as the case may be, he shall do so. If he is not so satisfied, he shall reject the application:

Provided that no order of rejection of any application shall be passed without giving the applicant an opportunity of being heard.

(4) A practitioner whose name is entered in the register under sub-section (1) or sub-section (2) of section 16 shall be issued a certificate in Form 'B' on payment of fee of five rupees and the applicant whose application is rejected shall be sent an intimation of rejection by registered post.

3-A. Every registered practitioner registered under section 16 shall renew his registration after every year.

4. *Validity of Registration.*—The name of every person registered under the Act shall, subject to the provisions contained in the Act as to the removal of names from the register, remain entered therein.

5. *Change of address to be intimated to the Registrar.*—(1) Every registered practitioner shall send to the Registrar a notice of any change in his address within one month of such change and shall also promptly answer all such enquiries as may be made from him by the Registrar in regard thereto, in order that his correct address may be entered in the register.

(2) A registered practitioner who changes his name shall immediately inform the Registrar about his changed name and shall satisfy the Registrar that he has already notified the fact of the change of his name in a newspaper having a wide circulation in the area in which he carries on his business and is published in the regional language of that area. The Registrar, shall, on being so satisfied and on receipt of a fee prescribed in rule 32 correct the register accordingly. He shall also, on being required to do so by the registered practitioner, make necessary correction in the registration certificate.

6. *Entries in the register regarding further qualifications.*—(1) A registered practitioner who obtains any further degrees, diplomas, certificates or other qualifications homoeopathic or other recognised medical degrees, diplomas or certificates and is desirous of getting the same entered in the register, shall make an application in Form 'C' accompanied by the fee prescribed in rule 32. He shall also furnish along with his application the original degrees, diplomas or certificates as the case may be, on the basis of which the entry in the register is sought.

(2) If the Registrar on receipt of the application under sub-rule (1) and after making such further enquiry as he may deem fit, is satisfied that the applicant is entitled to have entered in the register the degrees, diplomas, or certificates, as the case may be, obtained by him, he shall do so and grant such practitioner a certificate in Form 'D'. If he is not satisfied he will reject the application:

Provided that no order rejecting any application shall be passed without giving the applicant an opportunity to be heard.

7. *Issue of a duplicate Registration Certificate.*—If a registration certificate is lost, destroyed, mutilated, the holder may at any time during which certificate is in force, apply to the Registrar for a copy of the certificate and the Registrar may, on being satisfied issue on receipt of the fee prescribed in rule 32, a duplicate certificate.

8. *Removal from register under section* 16(5).—Whenever information reaches the office of the Registrar that a practitioner has been convicted of a cognisable offence, as defined in the

Code of Criminal Procedure, 1973, which discloses such defect of a moral character as is, in the opinion of the Council sufficient to make him unfit to practice in his profession or has been found, after the due enquiry, guilty of conduct which is, in opinion of the Council, in-famous in any professional respect, the Registrar shall make an extract of such information and place the same before the Council for such action as the Council may like to take under the provisions of sub-section (5) of section 16:

Provided that the Council shall, before passing any order under sub-section (5) of section 16, give the practitioner concerned an opportunity of being heard, if so desired by law.

9. *Surrender of registration certificate.*—A registered practitioner whose name is removed from the register by the Registrar under sub-section (5) of section 15 or by the Council under sub-section (5) of section 16 shall, on receipt of an intimation of such removal, forthwith surrender his registration certificate to the Registrar.

10. *Re-entry of name of Practitioner removed under section* 15(5) *and* 16(5).—(1) Any practitioner whose name is removed from the register by the Registrar under sub-section (5) of section 15 or whose name has been removed from the register by the Council under sub-section (5) of section 16 and who is desirous of getting his name entered or re-entered, as the case may be, under the proviso to sub-section (5) of section 15 or under sub-section (6) of section 16 make an application to the Chairman.

(2) Each such application shall be in writing stating the grounds on which the application is made and shall be accompanied by a certificate as given in Form 'F' of two registered practitioners regarding the identity of the applicant.

11. *Publication of list of practitioner.*—(1) The list of practitioners referred to in sub-section (1) of section 26 shall be pasted at a conspicuous place outside the office of the Council and the fact of its having been printed and so pasted shall be given adequate publicity through such newspaper or newspapers having wide circulation in Himachal Pradesh, as the Council may decide.

(2) In the case of practitioners registered in Part 'B' of the register, the list shall, instead of indicating the qualifications of a practitioner, indicate the system in which he is carrying on his practice.

12. *Fee for supply of certified copy.*—(1) The fee for the supply of certified copy of any order passed by the Council or the Registrar or of any entry in the register shall be charged at the rate of 75 paise per 100 words or fraction thereof, subject to a minimum of one rupee:

Provided that if the applicant desires to have a copy urgently, he shall have to pay double the amount of fees calculated as above subject to a minimum of two rupees.

(2) In case of urgent application the copy sought for shall be ready for delivery to the applicant by the close of office hours of the day following that on which the application is made.

13. *Appeals.*—(1) Every appeal preferred to the Council under section 17 shall be addressed to the Chairman of the Council and shall be accompanied by the fee prescribed in rule 32.

(2) Every appeal shall be deemed to have been duly presented if the same is sent by registered post, or is delivered personally or through an agent authorised in writing by the appellant, in the office of the Board.

(3) Every appeal shall be accompanied by a certified copy of the order appealed against and shall contain the following particulars:—

(*a*) the date of the order against which the appeal is preferred;
(*b*) the grounds of appeal briefly but clearly set out.

(4) Every appeal shall be signed by the applicant and verified in the manner laid down in the Code of Civil Procedure, 1908, for the verification of grounds of appeal.

14. *Procedure of hearing of appeals.*—(1) If the appeal is not preferred in the manner laid down in the preceding rule or is not accompanied by the prescribed fee it shall be summarily rejected.

(2) If the appeal is not rejected under sub-rule (1), the Council shall decide the same after giving the appellant and where the appeal is against the order of the Registrar passed in relation to any person other than the appellant, after giving such person an opportunity of being heard. Every decision of the Council shall be communicated to the Registrar who shall give effect to the same.

15. *Particulars to be filled in register.*—The Registrar shall show in respect of each practitioner the following particulars in the register:—

(*a*) registration number;

(*b*) full name in case of a married woman, her maiden name and full married name;

(*c*) father's name;

(*d*) date of birth;

(*e*) address;

(*f*) place and places and period or periods of training;

(*g*) nature of qualifications and dates on which these qualifications were obtained in the case of practitioners registered in Part 'A' and 'B' of the register;

(*h*) system in which practising in the case of practitioners registered in Part 'B' of the register;

(*i*) date of registration; and

(*j*) remarks.

16. *Verification of pages of register.*—Each page of the register shall be verified by the Registrar's signatures.

17. *Appointment of committees.*—For carrying out the purposes of the Act the Council may appoint such committees consisting of such number of persons as it may deem fit. Each committee appointed by the Council shall perform such functions as may be assigned to it by the Council:

Provided that nothing in this rule shall be deemed to empower a committee so appointed to exercise such functions as are specifically mentioned in the Act to be performed by the Council or any other authority.

18. *Travelling and other allowances admissible to members.*—(1) For attending meetings of the Council or any committee thereof the official members shall be paid travelling allowance in accordance with the provisions of the rules as applicable to them as Himachal Pradesh Government servants.

(2) Non-official members of the Council shall be allowed travelling allowance as admissible to the Himachal Pradesh Government servants of the II grade.

(3) All non-official members attending a meeting of the Council or committee shall be paid daily allowance for each day of meeting at the highest rate admissible to Himachal Pradesh Government servants of the II grade.

19. *Seal of the Board.*—The common seal referred to in sub-section (2) of section 3 shall be kept by the Registrar in his custody. It shall be affixed on each registration certificate which is issued under the provisions of these rules and on such other documents as the Chairman may, by order, direct.

20. *Management of property.*—The Registrar shall be responsible for the maintenance of all properties of the Council, who will maintain a stock register of its movable property.

21. *Deposits of Council's money in Bank.*—The Council shall open an account in the State Bank of India and all moneys received by it shall be deposited in the Bank subject to the provision of rule 22.

22. *Receipt of money on behalf of the Board.*—All moneys payable to the Council shall be received on behalf of the Council by the Registrar or any other employee of the Council authorised by him in writing in this behalf and shall be deposited in the Bank on the day following that on which these are received. A receipt in the form as prescribed in Appendix 'A' shall be granted by the Registrar in lieu of having received the money.

23. *Operation of Board's account's.*—The account of the Council shall be operated jointly by the Registrar and the Chairman (and in the absence of the Chairman by the Registrar and the Vice-Chairman).

24. *Permanent advance.*—The Registrar shall have a permanent advance of two hundred rupees.

25. *Maintenance of account.*—All moneys received or spent on behalf of the Council shall without any reservation be brought to the accounts of the Council in the general cash book to be maintained in the Form prescribed in Appendix 'B' under the direct supervision of the Registrar, and in his absence under the supervision of an employee of the Council authorised by him in writing.

26. *Audit of accounts.*—The accounts of the Council shall be audited annually by the Examiner, Local Fund Accounts of the Finance Department, Himachal Pradesh.

27. *Preparation of annual statement of accounts.*—The Registrar shall in the month of July each year cause to tbe prepared a statement of income and expenditure of preceding financial year endihg 31st March, and draw the attention of the Council to such matters which appear to him necessary for being brought to the notice of the Council.

28. *Preparation of estimates.*—(1) The Registrar shall in the month of October each year or on such date as the Chairman may fix, cause to be prepared an estimate of income and expenditure of the Council for the year commencing on the 1st of April, of the ensuing year and shall submit the same to the Council.

(2) The estimates shall make provision for the fulfilment of liabilities of the Council and for effectually carrying out the provisions of the Act.

(3) The Council shall consider the estimates submitted to it under sub-rule (1) and may sanction the same without any alterations as it may deem fit.

29. *Preparation of supplementary estimates.*—The Council may, at any time, during the year for which any estimates have been sanctioned cause a supplementary estimate to be prepared and submitted to it. Every such supplementary estimate shall be considered by the Council in the same manner as it were an original annual estimates. No expenditure shall be incurred which is not duly provided in the estimates sanctioned under sub-rule (3) of rule 28 or in a supplementary estimate.

30. *Payment of Bills.*—All the salary bills of the staff and other vouchers presented as a claim for money shall be received and examined by the Accountant. On being satisfied that the claim is in order, the bill shall be passed,—

(*a*) by the Registrar, if the claim relates to a salary bill of the staff or is for an amount not exceeding one thousand rupees; and

(*b*) by the Chairman, in other cases.

31. *Refund.*—Amounts received by the Council towards fees shall not be refunded under any circumstances. The amounts thus received shall remain credited to the account of the Council:

Provided that any amount paid by a practitioner in excess of prescribed fees shall be credited to the suspense account of the Council and may be refunded if claimed within a period of three years and if no claim for refund is made within the aforesaid period the amount shall be credited to the account of the Council.

32. *Fees payable to the Council.*—The following fees are prescribed to be paid to the Council:—

	Rs.
(1) for the first registration in the register under rule 3(1)	50.00
(2) for change of name in the register under sub-ruie (2) of rule 5	10.00
(3) for every further qualification or status subsequently registered under sub-rule (1) of rule 6	10.00
(4) for a duplicate certificate of registration under rule 7	15.00
(5) for filing an appeal to the Council in accordance with rule 13 if the appeal is against the order of the Registrar passed against the applicant	10.00
(6) for filing as appeal in accordance with rule 13, if the appeal is against the orders of the Registrar passed against any person other than the appellant ..	40.00
(7) for renewal of registration under section 3(*a*) after every year ..	10.00

together with stamp duty leviable under the Indian Stamps Act, 1889 or any other law for the time being in force relating to the levy of the stamp duty.

33. *Appointment and control over the employees of the Council.*—All employees appointed by the Council under sub-section (5) of section 14 shall be paid salaries and allowances as are sanctioned by the Council with the prior approval of the Government.

(2) The Registrar shall have authority and exercise control over the employees of the Council. The duties of various categories of the staff will be such as may be assigned by the Chairman and the Registrar.

34. *Leave and travelling allowance to the employees of the Council.*—The Registrar and other employees of the Council shall be granted leave and travelling allowance in accordance with rules as are applicable to the Himachal Pradesh Government employees.

35. *Power to grant leave to Registrar.*—The Chairman shall be authorised to grant leave to the Registrar.

36. *Powers to grant leave to other employees of Council.*—The Registrar shall be authorised to grant leave to other employees of the Council and appoint substitute in their places.

37. *Contributory Provident Fund.*—The employees of the Council shall not be entitled to pension but permanent employees will be allowed the benefit of Contributory Provident Fund Rules given in Appendix 'C'.

38. *Interpretation of rules.*—In case of any interpretation or clarification of these rules the decision of the State Government shall be final.

FORM "A"

[*See* rule 3(1)]

APPLICATION FOR REGISTRATION UNDER THE HIMACHAL PRADESH HOMOEOPATHIC PRACTITIONERS ACT, 1979

To

The Registrar,

Council of Homoeopathic System of Medicine,
Himachal Pradesh, Simla.

Subject:—Application for Registration under section 16 of the Himachal Pradesh Homoeopathic Practitioners Act, 1979.

Sir,

I am to request you to please register my name as a Practitioner in Part 'A' or 'B' of the register maintained under the Himachal Pradesh Homoeopathic Practitioners Act, 1979. Necessary particulars concerning my case are given here below for your information and record:—

1. Name of the applicant (in block letters).....
2. (*a*) Married name, if any (in block letters).....
   (to be filled in by married women only)
   (*b*) Maiden name (in block letters).....
3. Father's name (in block letters).....
4. Place where practising/will practise:
   (*a*) Village/Mohalla....., (*b*) Post Office.....
   (*c*) Tehsil and District..... (*d*) Police Station.....
5. Date of birth.....
   (attach a copy of certificate in support of date of birth).
6. System in which practising/will practise (Homoeopathic).....
7. (*a*) Name and address of a recognised Faculty/Board/University in respect of Homoeopathy where studied.....
   (*b*) Period of study in the institutions mentioned above.....
   (*c*) Name of the examination passed.....
   (*d*) Year in which passed.....
8. If studied privately, intimate—
   (*a*) Name and address of Guru.....
   (*b*) Period of study.....
   (*c*) period of practice (From.....to.....)

9. If registered/enlisted with any State—

(*a*) Registration/enlistment number.....(enclose a copy of certificate)

(*b*) Name of the State Board.....

10. (*a*) Fifty rupees for making entry in the register, and five rupees for the issue of registration certificate have been sent *vide* Money Order receipt No..... dated.....of Post Office.....

(*b*) In case the fee is paid in cash official receipt No..... dated.....

Dated.....,19.....

Signature of applicant.

Notes:—1. All cuttings in the application form must be signed by the applicant.

2. The registration fee may be sent by money order or may be given in cash to the Registrar, Council of Homoeopathic System of Medicine.

3. The Diploma/Degree of the recognised institution may be sent along with this application.

4. Strike out the items/words which are not applicable.

AFFIDAVIT

I,.....son of Shri.....resident of village.....wanting to practise in Village/Mohalla..... Tehsil.....Post Office.....Police Station..... District.....solemnly declare as follows:—

(*a*) that I have not been adjudicated by a competent court to be of unsound mind,

(*b*) that I have not been convicted and sentenced by a Criminal Court to imprisonment for any offence involving moral turpitude,

(*c*) that I am not an undischarged insolvent,

(*d*) that my name has not been removed from the register of Practitioners maintained by the State Board/Council or Parishad for professional misconduct,

(*e*) that I have gone through the Himachal Pradesh Homoeopathic practitioners Act, 1979 and rules framed thereunder and I promise to abide by the Provisions of the said Act and rules.

I solemnly declare and affirm that the contents given in application for registration in paras (*a*) to (*e*) above are correct to the best of my knowledge and belief. I further declare on oath that nothing relevant has been concealed.

Dated.....,19.....

Signature of the applicant.

Note.—The affidavit is to be attested by a Magistrate of 1st Class or an Oath Commissioner.

Attested.

Signature of the Attesting Authority.....
Name in full (Block letters).....
Designation.....
Place.....date.....,19.....

To be filled in by the Office

Registration application received on.....Diary No.....

(*a*) Fee for making entry in the Register/or issuing certificate received on.....
.....
(*b*) Official receipt No.....dated.....
(*c*) Cash Book page No.....Personal ledger No.....

Signature of the Accountant. Signature of the Cashier.

Order of the Registrar.....
Registration No.....
Original certificates scrutinised and returned on.....
Registration certificate issued *vide* No.....dated.....

FORM "B"

[*See* rule 3(4)]

No.....

COUNCIL OF HOMOEOPATHIC SYSTEM OF MEDICINE, HIMACHAL PRADESH, SIMLA

I certify that Shri.....son of Shri .....has been registered under the Himachal Pradesh Practitioners Act, 1979 as Homoeopathic Practitioner on.....at Simla.

Qualifications.....
Date of birth.....
Address.....

Notes.—(1) This certificate entitles the holder to practise within the State of Himachal Pradesh only.
(2) This certificate remains evidence of registration only until the publication of the printed register for the year.....

Common Seal. Registrar.
Dated, Simla, the.....,19.....

IMPORTANT NOTICE

Every registered practitioner should be careful to send to the Registrar immediate notice of any change in his address, and also to answer all inquiries that be sent to him by the Registrar in regard thereto, in order that his correct address may be duly inserted in the register. Otherwise under section.....of the Himachal Pradesh Homoeopathic Practitioners Act, 1979, the name of the practitioner is liable to be removed from the register.

FORM "C"

[*See* rule 6(1)]

APPLICATION FOR REGISTRATION OF ADDITIONAL QUALIFICATIONS

To

The Registrar,
Council of Homoeopathic System of Medicine,
Himachal Pradesh, Simla.

Sir,

I beg to apply for the registration of additional qualifications of..... which I have obtained from.....in..... The diploma or certificate of qualification, in original, with a copy thereof is enclosed herewith which may please be returned as soon as done with.

I am already registered under the Himachal Pradesh Homoeopathic Practitioners Act, 1979.

Particulars of my registration are given below:—

Name.....
Father's name.....
Registration No.....

The prescribed fee of Rs. 10 has been remitted by money order *vide* receipt No..... dated.....of.....post office.
*paid in cash *vide* official receipt No.....

Yours faithfully,

Signature of the Registered Practitioner.

Dated.....,19.....
No. of enclosures.
*Strike off if not required.

FORM "D"

[*See* rule 6(2)]

REGISTRATION OF ADDITIONAL QUALIFICATIONS

The additional diploma/certificates appearing below have been inserted in the Register of Homoeopathic Practitioners for Himachal Pradesh against the name of Shri/Shrimati.....
.....
Registration No.....

Diplomas or certificates alreads registered	*Diplomas or certificate now registered*
.....	.....
.....	.....
.....	.....

Seal.

Dated.....,19....

Registrar

FORM "E"

[*See* rule 10(2)]

CERTIFICATE IN SUPPORT OF APPLICATION FOR RE-ENTRY OF NAME IN THE REGISTER

I hereby certify that the applicant is the above specified..... whose name formally stood in the Register of the Homoeopathic Practitioners in Himachal Pradesh Homoeopathic Practitioners Act, 1979.

Name.....

(name of person certifying)

Address.....

Qualifications.....

Dated the.....,19....

Signature of the person Certifying.
Registration No.....

APPENDIX A

APPENDIX A

See rule 22 of the Himachal Homoeopathic Practitioners Rules, 1982.

Book No.....
Serial No.....

OFFICE OF THE COUNCIL OF HOMOEOPATHIC SYSTEM OF MEDICINE, HIMACHAL PRADESH SIMLA.

Dated the.....
Received from Sh./Smt.....
.....
the sum of Rs .....

REGISTRAR.

APPENDIX A

See rule 22 of the Himachal Pradesh Homoeopathic Practitioners Rules, 1982.

Book No.....
Serial No.....

OFFICE OF THE COUNCIL OF HOMOEOPATHIC SYSTEM OF MEDICINE, HIMACHAL PRADESH SIMLA.

Dated the.....
Received from Sh./Smt.....
.....
the sum of Rs.....

REGISTRAR.

APPENDIX "B"

(*See* rule 25)

COUNCIL OF HOMOEOPATHIC SYSTEM OF MEDICINE, HIMACHAL PRADESH
GENERAL CASH BOOK

INCOME

Month	Date	Folio number of classified abstract	Departmental major, minor and detailed head and sub-head of account	Particulars of receipt and names of the persons from whom received	Number of Bank receipt and date	Amount	Daily total	Remittance to Bank No., date of Bank receipt	Amount
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

EXPENDITURE

Month	Date	Folio number of classified abstract	Departmental major, minor sub-heads and detailed sub-heads of account	Particulars of charge and name of payee	Number of voucher	Number and date of cheque	Amount	Daily total
11	12	13	14	15	16	17	18	19

APPENDIX "C"

(*See* rule 37)

PROVIDENT FUND RULES FOR THE EMPLOYEES OF THE COUNCIL OF HOMOEOPATHIC SYSTEM OF MEDICINE, HIMACHAL PRADESH

1. In the following rules:—

(1) "Council" means the Council of Homoeopathic System of Medicine, Himachal Pradesh established under the Himachal Pradesh Homoeopathic Practitioners Act, 1979;

(2) "depositor" means an employee on whose behalf a deposit is made under these rules;

(3) "family" means wife or husband, as the case may be, and parents, children and step-children wholly dependent upon the employee;

(4) "interest" means the interest which is paid on deposit in a Government Savings Bank under the rules in force for such institution;

(5) "salary" includes all fixed monthly allowances by way of pay of personal allowances, but does not include allowances granted to meet specific expenditure such as travelling or conveyance or house rent allowances whether paid on daily, monthly or yearly basis;

(6) "employee" includes every employee holding a substantive appointment in the office of the Council of Homoeopathic System of Medicine, Himachal Pradesh.

Explanation.—An employee on probation in substantive appointment shall not be considered an employee for the purpose of these rules until he is confirmed.

2. Every employee appointed or promoted to an appointment in the office of the Council shall be required, unless specially exempted by the Chairman of the Council to subscribe at the rate of 8 paise in the rupee on his salary to a Provident Fund of which a conjoint account will be opened at the Post Office Savings Bank in the official name of the Chairman of the Council. The deduction shall be made by the Council from every salary bill presented and shall be credited at once to the Fund. In calculating this deduction fraction of a rupee of salary should be omitted.

3. The Council shall make a contribution to the deposit account of each depositor equal to the amount of the deduction made from his salary under the preceding rule. Such contribution shall be credited to the Fund month by month in favour of such employee, together with the deduction from salary.

4. A Provident Fund Ledger (Form "I" appended to these rules) shall be maintained in the office of the Council. The amount deducted monthly from each depositor's salary under rule 2 and the monthly contribution referred to in rule 3 shall be entered at once in the Provident Fund Ledger, and the amount so entered shall be duly paid into the Post Office Savings Bank to the credit of the depositor in the conjoint account referred to in rule 2. Payment into the Post Office Savings Bank should whenever possible be made between 1st and 4th day of each month in order that the interest may accrue thereon.

5. No subscription or contribution shall be made to the Provident Fund during the period an employee is on leave without pay.

6. As soon as possible after the close of a financial year and after the interest has been added by the Post Office in the Savings Bank conjoint account pass book a copy of the account of each depositor shall be furnished to him in Form "II" appended to these rules.

7. No employee shall be eligible to receive any part of or share in any sum contributed by the Council on his behalf unless he has been in service of the Council for at least twelve months and has, in the event of resignation been permitted by the Chairman of the Council to resign his appointment.

8. No employee of the Council, who, in the opinion of the Chairman of the Council, be guilty of dishonesty or other gross misconduct shall, except with the approval of the Council, be eligible to receive any part of or share in any sum contributed by the Council on his behalf on any accumulated interest or profits thereof. The Council shall be entitled to recover as the first charge from the amount, for the time being at the credit of a servant a sum equal to the amount of any loss or damage at any time sustained by the Council by reason of the employee's dishonesty or negligence.

9. (*a*) If an employee is dismissed, the Council, may withhold all or any part of the contribution made by it to his account together with the interest accrued thereon and pay to the servant only the balance at his credit without such contribution and interest thereon.

(*b*) Except as provided in rule 8 to 10 of these rules the balance referred to is not liable to forfeiture on dismissal or on conviction of an official.

10. If at the time of the resignation, transfer, dismissal or death of an employee there are outstandings of the Council against him, the Council may deduct the amount of such outstandings from his deposit and pay him the balance, if any.

11. Any contribution and interest thereon withheld from the employee under rule 7, 8, 9 and 10 shall belong to the Board and shall be withdrawn from the Savings Bank conjoint account and credited to the funds of the Council.

12. In the event of depositors's death, before retirement or after retirement but before the money has been handed over, the amount at his credit shall, subject to rule 7, 8, 9 and 10 be distributed among such persons as may be named in the declaration of the employee (Form "III" appended to these rules) which should be made when the first deposit is made in the Fund account of the employee. A depositor may from time to time change his nominee or nominees by written applications to the Registrar of the Council.

13. On a depositor leaving the service of the Council his account shall be closed and unless the amount at his credit is withdrawn within six months, the account shall bewritten off as a dead account and the amount shall be paid only under the orders of the Chairman of the Council.

14. When an account become dead it shall be closed in the Provident Fund Ledger, the money being drawn out the Savings Bank conjoint account and credited in the Cash Book as miscellaneous receipt. If the amount is subsequently claimed, the entries in the Cash Book and the Provident Fund Ledger shall be traced out and order of the Chairman of the Council obtained. The payment is made and the fact of payment and reference to the order, shall be made against the entry of each account book to avoid double payment.

15. A conjoint Post Office Savings Bank account will be opened in the official name (designation) of the Chairman of the Council. The Savings Bank pass book shall be kept for safe custody in the office safe. Withdrawals from the conjoint account shall be made on requisition signed by the Chairman of the Council.

16. Notwithstanding anything contained in the above rules, when pecuniary circumstances of the depositor are such that concession is a matter of absolute urgent necessity, a temporary advance not exceeding three months pay or half of the balance to the credit of the depositor whichever is less may be allowed by the Chairman of the Council from the conjoint Savings Bank

account for any of the following purposes:—

(*i*) to pay expenses incurred in connection with the illness of subscriber or member of his family;

(*ii*) to pay expenses incurred in connection with the marriage or funeral ceremony which by the religion of the subscriber it is incumbent upon to perform and in connection with which it is obligatory that the expenditure should be incurred. When a subscriber has taken advance no second advance shall be granted to him unless the amount already advanced has been fully paid up.

Note.—For the purposes of this rule 'pay, means the basic pay and does not include allowances of any kind.

17. Advance will be recovered in not more than 24 equal monthly instalments. A subscriber may, however, at his option make repayment in less than 24 instalments or may repay two or more instalments at the same time. Recoveries shall be made monthly commencing from the first payment of a full months salary after the advance is granted but no recovery shall be recovered when the subscriber is on leave without pay, instalment will be recovered by compulsory deductions from salary and will be additional to the usual subscription. Each instalment of recovery shall on recovery be at once paid into the conjoint Savings Bank Account.

18. If an advance has been granted to a subscriber and drawn by him and the advance is subsequently disallowed before repayments completed, the whole or balance of the amount withdrawn shall forthwith be repaid by the depositor to the Fund, or in default, be ordered by the Chairman of the Council to be recovered by deduction from the emoluments of the depositor in a lump-sum or in monthly instalments not exceeding 12 as may be directed by the Chairman of the Council.

19. Notwithstanding anything contained in these rules, if the Chairman of the Council is satisfied that the money drawn as an advance from the Fund under rule 16 has been utilised for a purpose other than that for which sanction was given to the drawal of the money, the amount in question shall forthwith be repaid by the depositor to the Fund, or in default, be ordered by the Chairman of the Council to be recovered by deduction in a lump-sum from the emoluments of the depositor.

20. Every employee to the benefit of the Provident Fund shall be required to sign a written declaration that he has read these rules and agrees to abide by them.

FORM "I"

PROVIDENT FUND LEDGER

(*See* rule 14 of Appendix "C")

Sr. No.	Depositor's Name	Depositor's Designation	Opening balance	Date	Deposit in the Savings Bank: By subscriber	By H.P. Homoeopathy Council	Total upto date	Date	Amount	Total upto date
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Rs. P.		Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.		Rs. P.	Rs. P.

Interest paid by the Savings Bank: Date	Amount	Total upto date	Total deposit including interest in Savings Bank column 11 and 14	Advance to deposit: Date	Amount	Balance in Savings Bank: Date	Amount	Balance credit of each subscriber at the end of month	Remarks
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

FORM "II"

(*See* rule 6 of Appendix "C")

COUNCIL OF HOMOEOPATHIC SYSTEM OF MEDICINE

Year of Account..... ....

Name of depositor	Opening balance	Deposits during the year			Recoveries during the year	*Interest accruing during the year	Withdrawals during the year	Balance
		Depositor's Share	Council's Share	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**This also includes..... .....recovered in earlier years as detailed below but brought on to the account in this year:

.....

.....

.....

Signature of Registrar.

Date.....

*Includes interest on credits relating to earlier periods also.
**For missing credits/debits please see reverse.

Note-1.—If the depositor desires to make any alteration in the nomination already made a revised nomination may be filed forthwith in accordance with the rules of the Fund.

Note-2.—In case the depositor owing to his/her having no family then had nominated a person/persons other than a member/members of his family and subsequently acquired a family he/she should submit a nomination in favour of a member/members of his/her family.

Note-3.—The depositor is requested to satisfy himself/herself as to the correctness of the statement and to bring errors, if any, to the notice of the Registrar within.....month(s) from the date of its receipt.

MISSING CREDITS/DEBITS

Details of missing credits/debits are given below:—

In case these subscriptions/withdrawals/refunds of withdrawals were actually made the depositor may please give the particulars of the vouchers in which the deductions were made/amounts were withdrawn indicating the No. of each voucher, date of its encashment, name of the treasury, head of account and the net amount of the voucher (in case of non-Gazetted Government servant these particulars may be furnished by the head of office).

Subscriptions			Refund of the withdrawals		Advances/withdrawals	
Year	Month of salary	Amount	Year	Month of salary	Year	Month of salary

FORM "III"

(*See* rule 12 of Appendix 'C')

FORM OF NOMINATION

A.—When the depositor has a family and wishes to nominate one member thereof

I hereby nominate the person mentioned below who is a member of my family as defined in rule 3 of the P. F. Rules as contained in Appendix 'C' of the Himachal Pradesh Homoeopathic (General) Rules, 1982 to receive the amount that may stand to my credit in the Fund in the event of my death before the amount has become payable or having become payable has not been paid:—

Name and address of nominee	Relationship with depositor	Age	Contingencies on the happening of which the nomination shall become invalid	Name, address and relationship of the person/persons, if any, to whom the right of the nominee shall pass in the event of his predeceasing the depositor
1	2	3	4	5

Dated this.....day of.....at.....

Signature of depositor.

Two witnesses to signature:

1. Name .....
   Address .....
   .....

2. Name .....
   Address .....
   .....

B.—When the depositor has a family and wishes to nominate more than one member thereof

I hereby nominate the persons mentioned below, who are members of my family as defined in rule 3 of the Provident Fund Rules as contained in Appendix 'C' to the Himachal Pradesh Homoeopathic (General) Rules, 1982 to receive the amount that may stand to my credit in the Fund in the event of my death before the amount has become payable, or having become payable has not been paid, and direct the said amount shall be distributed among the said persons in the manner shown against their names:—

Name and address of nominee	Relationship with depositor	Age	Amount of share of accumulation to be paid to each	Contingencies on the happening of which the nomination shall become invalid	Name, address and relationship of the person/persons, if any, to whom the right of the nominee shall pass in the event of his predeceasing the depositor
1	2	3	4	5	6

Dated this.....day of.....at.....

Signature of depositor.

Two witnesses to signature:

1. Name .....
   Address .....
   .....

2. Name .....
   Address .....
   .....

Note.—This column should be filled in so as to cover the whole amount that may stand to the credit of the depositor in the Fund at any time.

C.—When the depositor has no family and wishes to nominate one person

I, having no family as defined in rule 3 of the Provident Fund Rules as contained in Appendix 'C' to the H. P. Homoeopathic (General) Rules, 1982 hereby nominate the person mentioned below to receive the amount that may stand to my credit in the Fund, in the event of my death before the amount has become payable or having become payable has not been paid:—

Name and address of nominee	Relationship with depositor	Age	Contingencies on the happening of which the nomination shall become invalid	Name, address and relationship of the person/persons, if any, to whom the right of nominee shall pass in the event of his predeceasing the subscriber
1	2	3	4	5

Dated this.....day of.....19.....at.....

Signature of depositor.

Two witnesses to signature:

1. Name.....
   Address.....
   .....

2. Name.....
   Address.....
   .....

**Note.*—Where a depositor who has no family makes a nomination, he shall specify in this column that the nomination shall become invalid in the event of his subsequently acquiring a family.

D.—Whent hedepositor has no family and wishes to nominate more than one person

I, having no family as defined in rule 1(3) of the Provident Fund Rules as contained in Appendix 'C' of the H.P. Homoeopathic (General) Rules, 1982 hereby nominate the persons mentioned below to receive the amount that may stand to my credit in the Fund, in the event of my death before the amount has become payable, or having become payable has not been paid and direct that the said amount shall be distributed among the said persons in the manner shown against their names:

Name and address of nominees	Relationship with depositor	Age	Amount of share of accumulations to be paid to each*	Contingencies on the happening of which the nomination shall become invalid**	Name, address and relationship of the person/persons, if any, to whom the right of the nominee shall pass in the event of his predeceasing the depositor
1	2	3	4	5	6

Dated this.....day of.....19..... at.....

Signature of depositor

Two witnesses to signature:

1. Name.....
   Address.....
   .....

2. Name .....
   Address.....
   .....

Note.—*This column should be filled in so as to cover the whole amount that may stand to the credit of the depositor in the Fund at any time.

Note.—**Where a depositor who has no family makes a nomination, he shall specify in this column that the nomination shall become invalid in the event of his subsequently acquiring a family.

By order,
A. N. VIDYARTHI,
Secretary.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।